भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल शहर में साँची दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु पंचम ई–निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित डेयरी संयंत्र से भोपाल शहर के मार्ग क्र. 03, 10, 52 एवं 62 पर इंसुलेटेड वाहनों द्वारा साँची दूध विक्रय हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति के लिए पंचम ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।)

इच्छुक पार्टी/व्यक्ति निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://mptenders.gov.in से रू.1000/– के भुगतान पर क्रय कर दिनांक 08.09.2020 दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 28.09.2020 दोपहर 01:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते है। पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के साथ–साथ **भौतिक रूप से तथा ऑनलाईन जमा की गई निर्धारित ई.एम.डी राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक–पृथक) की पावती भी भौतिक रूप से दिनांक 29.09.2020 को दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऑनलाईन निविदा मान्य नहीं की जाएगी।**

प्राप्त निविदाएं दिनांक 29.09.2020 को दोपहर 03:00 बजे से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे। निविदा संबंधी शर्तें, मार्ग एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाईट http://www.mpcdf.gov.in एवं http://www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**28.09.2020 दोपहर 01.00 बजे तक**
2	निविदा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**29.09.2020 दोपहर 01.00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	**29.09.2020 अपरान्ह 03:00 बजे** भोपाल दुग्ध संघ स्थित बोर्ड मीटिंग हॉल
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.)राशि	**रू. 1,00,000/– (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	वितरक सह–परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	.''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03

<u>भौतिक निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- धरोहर राशि (**EMD½** की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''**A**'' लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्तें'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''**B**''– प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- उक्त दोनों ''**A**'' एवं ''**B**'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 29.09. 2020 दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र कमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 3 सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :–

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1. <u>निविदा कार्य अवधिः–</u>

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2019–2021 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. <u>न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण</u>

स.क्र.	विवरण	स. क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे या भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	<u>अनिवार्य अर्हताऐं–</u>		<u>अनिवार्य दस्तावेज</u>
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व / फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.03** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम. डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑन लाईन जमा होना चाहिय।	4.5	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	निविदा शुल्क जमा किया हो।	4.8	निविदा फार्म क्रय किये जाने / वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से

6. <u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mptenders.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार रूपये मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रपत्र क्रमांक–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

साँची दूध के भोपाल शहर में वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रू. 100,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की भौतिक रसीद क्रमांक ....दिनांक .... संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7.	एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस		लायसेंस/आवेदन की छायाप्रति।
8	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें।
9	दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में वचन पत्र लगाना अनिवार्य है।		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में वचन पत्र संलग्न करें।
10	दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन		दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी

	पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।		से कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन पत्र संलग्न करें।
11	वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
12	दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी व्यवसाय का अनुभव होना अनिवार्य है।		लेटर हेड पर स्वंय का प्रमाणित वचनपत्र प्रस्तुत करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ————————————————
नाम :– ————————————————

पता :– ————————————————
————————————————
————————————————
टेलीफोन नं.————————————————
मोबाईल नं ————————————————

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

(1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

(2) निविदाकार एक निविदा प्रपत्र में केवल एक ही मार्ग हेतु दरें प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि निविदाकार दो या अधिक मार्गों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक निविदा प्रपत्र एवं ई.एम.डी प्रस्तुत करना होगी। वर्तमान में कार्य कर रहे दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता को समान दर होने पर प्राथमिकता दी जाऐगी।

(3) निविदाकार कितने भी मार्ग पर निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु अधिकतम पांच मार्गों पर ही कार्य दिया जा सकेगा। निविदा कार्यवाही के दौरान किसी भी निविदाकार की अधिकतम पांच मार्गों पर न्यूनतम दर प्राप्त होने एवं निविदा स्वीकृत होने पर आगामी मार्गों के लिए संपादित होने वाली निविदा कार्यवाही में ऐसे निविदाकारों की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यह निविदा भोपाल शहर के सभी मार्गों के लिए जारी की गई है।

(5) **निविदाकार के पास स्वयं का इन्सयुलेटेड वाहन वर्ष 2014 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।**

(6) निविदाकार को निविदा के साथ रू.100,000/– (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।

(7) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।

(8) **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मूल्य की पांच गुना राशि प्रतिभूति राशि के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि संघ के नाम ज्वाइंट एफ.डी.आर. संबंधित द्वारा डिस्चार्ज कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

(9) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाऐगा।

¼10½ आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(11) निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(12) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं हिन्दी के शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाऐगा।

(13) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(14) निविदाकार द्वारा **परिवहन दरें** वर्तमान में प्रभावशील डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाए। अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव स्वीकृत परिवहन दरों में सामानुपातिक रूप से प्रभावशील किया जाऐगा।

(16) **निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह–परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। **दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्त्ता का कार्य उक्त अवधी में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।**

(17) अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत परिवहन दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

(18) सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

(19) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

(20) **कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में दुग्ध संघ एवं अन्य एमपीसीडीएफ के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया हो इस बाबद उल्लेख वचन पत्र भरकर देना होगा।**

(21) भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न वचन पत्र भरकर देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश किया जाऐगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया वचन पत्र गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

(22) यदि वर्तमान में कार्यरत किसी वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरें स्वीकृत होती हैं तो समस्त लेनदारी देनदारी उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जाऐगा।

(23) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।

(24) वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह – परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(25) दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता को संघ द्वारा प्रतिलीटर मार्जिन 30 पैसे तथा 05 पैसे लीकेज के विरूद्ध तथा 05 पैसे स्टेशनरी (शीट चालान) व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसमें समय–समय पर वृद्धि का निर्णय संघ द्वारा किया जाएगा। विक्रय केन्द्रों की लीकेज की भरपाई वितरक सह–परिवहनकर्ता को करनी होगी।

(26) वितरक सह–परिवहनकर्ता को निविदा में वर्णित दर में केवल परिवहन दर ही अंकित करनी होगी। उपरोक्त फिक्सड मार्जिन तथा परिवहन दर जोड़कर संयुक्त राशि का भुगतान प्रतिलीटर आधार पर किया जाएगा।

(27) वितरक सह–परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(28) निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा अन्यथा ऐसे निविदाकार की निविदा अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 18 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

<u>वचन–पत्र</u>

मैं.................................... निवासी....................................भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम––––––––––––

पता ––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
हस्ताक्षर–––––––––––––

<u>वचन–पत्र</u>

मैं ....निवासी ....भोपाल दुग्ध संघ में .... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे भोपाल दुग्ध संघ द्वारा आवंटित किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम————————

पता ————————

——————————

——————————

हस्ताक्षर—————————

<u>प्रपत्र क्रमांक–3</u>

<u>साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा–प्रपत्र</u>

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. आवेदित मार्ग क्रमांक ....
2. निविदाकार का नाम..
3. पत्र व्यवहार का पता ....
....
4. डेयरी सयंत्र भोपाल से आवेदित मार्ग पर समस्त केन्द्रों पर प्रतिदिन दोनों समय साँची दूध वितरण करने एवं दोनों समय क्रेट वापसी हेतु परिवहन दर अंको में रूपये____________________पैसे प्रति लीटर (शब्दों में_________ ____________________________________ <u>पैसे प्रतिलीटर</u>) तथा वितरक मार्जिन अंकों में रू.0.30 प्रतिलीटर (शब्दों में तीस पैसे प्रतिलीटर) तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) लीकेज के विरूद्ध तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) स्टेशनरी व्यय कुल योग अंको में रू.______प्रतिलीटर (शब्दों में रू.______________________<u>प्रतिलीटर</u>) प्रस्तुत करता हूँ।

बूथ/मिल्क पार्लर/एजेन्सी को देय रिटेलर मार्जिन को छोड़कर निविदाकार वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रति लीटर दरें प्रस्तुत करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर......................

दिनांक................................ पूरा नाम...

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप (भोपाल शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर दूध के वितरक सह–परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक .... के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह–परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के पास 60 प्रतिशत प्रतिभूति राशि रू...................(शब्दों में............ ....) नगद या डी.डी. राशि रू. ....(शब्दों में......................................) जमा करावेगा एवं शेष 40 प्रतिशत प्रतिभूति राशि रू........................(शब्दों में..................................) की एफ.डी.आर संघ के नाम ज्वाइंट एफ.डी.आर. के रूप में संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशीप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधी वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वितरक को संघ में वितरक का पंजीयन (वेण्डर रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। जिस हेतु उसे संघ कार्यालय में रू.100/– जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।**
5. वितरक सह–परिवहनकर्ता, **मार्ग क्रमांक ....** पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह–परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
6. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दूध एक्स डेयरी डाक भोपाल से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल,भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाऐगा।
7. वितरक सह–परिवहनकर्ता को डेयरी डाक से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
8. वितरक सह–परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएगें/न बढ़ायेगें।
9. वितरक निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध विक्रय एजेन्ट को दूध देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार–बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त कर सकेगा।
10. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ–सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रू.500/– का अर्थदण्ड लगाया जाऐगा।
11. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
12. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता

है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।

13. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है, इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाऐं।
14. संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डाक पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। **दुग्ध वितरण के उपरांत संघ द्वारा दूध रिटर्न नहीं लिया जाएगा। इस हेतु लीकेज कंपनसेशन के रूप में वितरक सह–परिवहनकर्ता को 05 पैसे प्रतिलीटर का भुगतान पृथक से प्रतिदिन विक्रय अनुसार किया जाएगा।**
15. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
16. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
17. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनें वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगाएगा। इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जानें पर वितरक सह–परिवहनकर्ता की वितरक सह–परिवहनकर्ता शिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
18. वितरक सह–परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।
19. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आनें दें।
20. **वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह–परिवहनकर्ता से क्रेटस/केन्स की राशि रू.100/– प्रतिक्रेट पेनल्टी एवं क्रेट का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।**
21. वितरक सह–परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
22. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराऐगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाऐगी।
23. **वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की धनराशि का भुगतान वितरक को स्वयं प्राप्त करना होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी अथवा अन्य के किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।**
24. समय समय पर दुग्ध संघ वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पानें पर इस बाबत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
25. वितरक सह–परिवहनकर्ता से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक सह–परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाऐगी।
26. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आबंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह– परिवहनकर्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

27. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की होगी व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि परिवहन देयक से काटी जाएगी।

28. वितरक सह–परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराऐगा।

29. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

30. वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वंय के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

31. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से कराना होगा।

32. वितरक सह–परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

33. संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हूई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।

34. वितरक सह–परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रो एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/–प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।

35. यह कि वितरक सह–परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो वितरक सह–परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह–परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक द्वारा संघ में जमा चेक बुक के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

36. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्घ विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोघन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

37. वितरक सह–परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

38. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से जमा करेगा अथवा संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। (जो भी लागू हो) धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू.20.00 से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

D- **समस्त दूध वितरक व सह–परिवहनकर्ता के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।**

39. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह–परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रति घण्टा रखी जावेगी।

40. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता से की जावेगी।

41. वितरकों द्वारा निविदा के समय विक्रय होने वाले एक दिन के दूध की पांच गुना राशि अर्थात पांच दिन के विक्रय के बराबर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का पुर्नरिक्षण प्रत्येक एक वर्ष बाद किया जायेगा अर्थात एक वर्ष बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पांच गुना अर्थात पांच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

42. संघ में पूर्व से कार्यरत वितरक सह–परिवहनकर्ताओं को निविदा में भाग लेने पर पुनः मार्ग आवंटित होने की स्थिति में संघ का **यदि बकाया क्रेट/बकाया दुग्ध विक्रय राशि लेना** शेष निकलता है तो उसे संघ में जमा करने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाऐगा।

43. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/ संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह– परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

44. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

45. I. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा एक बार प्रत्येक मार्ग के लिये वाहन निर्धारित किये जाने पर पूर्ण अवधि पर ऐसी वाहन से या उसके समकक्ष, इंसुलेटेड वाहन से दूध वितरण एवं परिवहन किया जाऐगा। ऐसा न करने पर या वांछित वाहन के स्थान पर छोटा वाहन चलाने पर कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

ठ. अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

46. **दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।**

47. यह कि मार्ग क्रमांक .... पर श्री/मेसर्स ....वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रूपये............................... पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन अंकों में रू.0.30 प्रतिलीटर (शब्दों में तीस पैसे प्रतिलीटर) तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) लीकेज के विरूद्ध तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) स्टेशनरी व्यय कुल योग अंको में रू.__________प्रतिलीटर (शब्दों में रू.__________________________प्रतिलीटर) पर कार्य करेंगे।

48. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

49. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

50. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं, वाहन का प्रकार टाटा 407/आयशर अथवा समकक्ष औसतम 10 किलो मीटर, टाटा 608/709/आयशर अथवा समकक्ष औसतम 6 किलो मीटर, महिन्द्रा पिकअप/अथवा समकक्ष औसतम 12 किलो मीटर के आधार पर की जाऐंगी ।

51. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

52. **यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, भोपाल दुग्ध संघ भोपाल के समक्ष रखा जाऐगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।**

53. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगाा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक................ को निष्पादित किया गया है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी... वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.. को घोषित करता/करती हूँ।

वितरक सह–परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम...
पता..
....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–..................................

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

....
....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–.....................................

	डेरी से कटारा बर्रई		
मार्ग क्र	52	दूरी आना–जाना प्रातः व शाम ...60... कि.मी.	*NB*
वाहन का प्रकार टाटा/आयशर अथवा समकक्ष क्षमता 350 क्रेट		औसत विक्रय मात्रा	**3075.00**
क0	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा लीटर में
1	आम्रपाली पार्लर	आम्रपाली पार्लर	285
2	211	लहारपुर	580
3	212	लहारपुर	280
4	लहरपुर ऐ.	लहारपुर	190
5	शिवशक्ती ऐ.	लहारपुर	290
6	543	कटारा	150
7	526	कटारा	150
8	482	अमलतास	140
9	500	वराई	23
10	495	वराई रोड	55
11	480	स्प्रिंग वैली	60
12	374	पार्क सीटी	165
13	स्प्रिगंवैली ऐ.	सिगनेचर	60
14	हेवर्स ऐ.	सिगनेचर कालोनी	50
15	राजपूत ऐ.	वराई	100
16	निरामय ऐ.	वराई रोड	260
17	अकुल ऐ.	वराई	30
18	वराई ऐ.	स्प्रिगंवैली	50
19	धावनी	वराई	157
	Total		**3075**
	नोट :– प्रतिभूति राशि	**3075 x 5 x 45**	**691875**

नोट :– औसत मुल्य रू 45.00 प्रति लीटर के आधार पर

विपणन पर्यवेक्षक सहायक महाप्रबंधक